25/11/19 — आज पत्रावली पेश हुई। वकला़ा — उपस्थित
आये। बावजूद सभी प्रतिवादीगण वकील वादी ने समय चाहा। चूंकि दिनांक 05/11/2015 में वादी का वाद
अदम तामील। अदम पैरवी में खारिज हो जाने पर दिनांक 11/10/2019 को दफा पुनः नम्बर पर लिये जाने के उपरान्त वकील वादी ने
आखिर तक पुनः सभी प्रतिवादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. के समन। तलबाने पेश करने बाबत के

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस हु में
	आदेशों की पालना नहीं की है। जिस हेतु पूर्व में भी कई बार अवसर, न्यायहित में अन्तिम अवसर दिये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति बनी पाई। वादी पक्ष न्यायालय के आदेशों की अवहेलना एवं न्यायालय के कीमती समय को खराब किया है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को अदम अनुपालना तलबी काबिल आदेश 9 नियम 5 में खारिज किया जाता है एवं प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जमा जिला रेकर्ड भण्डार हो। सुनाया गया।	